(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 113 / 2020

बउनवान

1. नरेन्द्र मोहन पुत्र गया प्रसाद रावत निवासी छूई खादान सतई रोड छत्रपुर जिला छत्रपुर मध्यप्रदेश जर्ये श्री प्रेमनारायण पुत्र नाथूराम शिवहरे आयु 48साल निवासी सिद्धगणसेन मार्ग, तहसील छत्रपुर, जिला छत्रपुर
2. सूरजमल पुत्र कंवरलाल जाति जाटव निवासी नेशनल कॉलोनी, साडू के बाग के पीछे, छबड़ा, जिला बाराँ (राज0)
3. बृजमोहन पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झरखेड़ी हाल निवास वसुंधरा कॉलोनी, कॉलेज रोड छबड़ा जिला बाराँ (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. श्रीमती कमला सोनी आयु 82वर्ष पत्नि श्री मोहनलाल जाति स्वर्णकार निवासी इन्द्रा कॉलोनी, छबड़ा जिला बाराँ (राज0)
2. सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बाराँ (राज0)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक / न्याय / 2020 / 450–51 दिनांक 03.06.2020 के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 11.01.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश क्रमांक / न्याय / 2020 / 450–51 दि. 03.06.2020 की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के [illegible]यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक [illegible]06.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया [illegible] और अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम [illegible] द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:15:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को किस हैसियत से कार्यवाही करने का अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में निर्माण कार्य का उल्लेख किया है, जबकि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा आबकारी विभाग से नक्शा पास करवाकर अस्थाई रूप से बोडी रखकर हीं दुकान का संचालन किया जा रहा है। भूखण्ड मालिक श्री अंकित गोयल पुत्र हरीप्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी छबड़ा से भू–खण्ड किराये पर 11 माह के लिए लिया गया है, लेकिन इस तथ्य पर अधी0 न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। रेस्पो0 क्रम 1, जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर कानून के विपरीत आदेश पारित किया है, उसका आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलांट क्रम 2 व 3 को मात्र परफोरमा पक्षकार बनाया गया है, जिन्हें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं चाहिए। अधी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में राजस्व हानि का उल्लेख किया है जबकि अधी0 न्यायालय को राजस्व की कोई हानि नहीं हो रही है। बल्कि अपीलांट क्रम 1 को इस आदेश से हानि होने की पूरी सम्भावना है। आदेश में मिसल नं0 भी नहीं है। अपीलांट क्रम 1 वैध लाइसेन्स–धारी शराब ठेकेदार है जिसके खिलाफ मात्र रंजिश के कारण ही आर्थिक नुकसान पहुँचाने की गरज में उपरोक्त कार्यवाही पेश की गई है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधी0 न्यायालय तहसीलदार, तहसील छबड़ा द्वारा पारित आदेश दि. 03.06.2020 निरस्त फरमाया जावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता, जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे वह भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से अपीलांट को दिलवायी जावें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अपीलांटगण उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। अधी0 न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2020 /450–51 दिनांक 03.06.2020 न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप हीं विधिसम्मत पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि अधी0 न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अतः अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश क्रमांक/न्याय /2020/450–51 दिनांक 03.06.2020 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:15:55 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ